# हरियाणा विधान सभा

# की

# कार्यवाही

## 18 जनवरी, 1974

खण्ड 1, अंक 14

अधिकृत विवरण

# विषय–सूची

## शुक्रवार, 18 जनवरी, 1974


| | | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| तारांकित प्रश्न एवं उत्तर | (14) | 1 |
| नियम 15 के अधीन प्रस्ताव | (14) | 26 |
| नियम 16 के अधीन प्रस्ताव | (14) | 27 |
| विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन नया अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढाना | (14) | 27 |
| लोक लेखा समिति का प्रतिवे दन पेश करना | (14) | 27 |
| अनुसूचित जातियों तथां अनुसूचित कबीलों के कल्याणार्थ गठित की गई समिति के कार्यकाल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रस्ताव | (14) | 27 |
| दी हरियाणा चिल्ड्न बिल, 1974 | (14) | 30 |
| दी कोर्ट रीस (हरियाणा अमैंडमैंट ) बिल, 1974 | (14) | 37 |
| शोक प्रस्ताव | (14) | 42 |

# हरियाणा विधान सभा

## शुक्रवार, 18 जनवरी, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ में प्रात 9. 30 बजे हुई । अध्यक्ष

( चौधरी सरूप सिंह ) न अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

### Tourist Places

***553. —Chaudhri Ram Lai Wadhwa :** Will the Minister for Home be pleased to state the total amount spent on different tourist places in the State during the year 1973 (to-date) together with the names of such tourist places ?

गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री ( श्रीमती शारदा रानी)रू अपेक्षित सूचना 1–1–73 से 30–9–73 तक एक स्टेटमैन्ट में विधान सभा की मेज पर प्रस्तुत है। 1–10–73 से 31–12– 73 की अवधि की सूचना अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

**STATEMENT**

| | Name of tourist place | Amount spent (Rs. in lakh) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Badkhal Lake | 5.90 | |
| 2 | Surajkund | 4.51 | (Of this Rs. 2.50 lakhs have so far been received as central assistance.) |
| 3 | Pinjore Gardens | 1.73 | |
| 4 | Chakravarty Lake Uchana | 3.51 | |
| 5 | Pipli | 0.74 | |
| 6 | Sultanpur | 0.73 | |
| 7 | Sohna | 3.81 | |
| 8 | Hissar | 0.54 | |
| 9 | Jind | 0.57 | |
| 10 | Panchkula | 0.43 | |
| 11 | Smalkha | 0.58 | |
| 12 | Narnaul | 0.02 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | Gurgaon | 0.40 | |
| 14 | Youth Hostel Panchkula | 1.03 | (A sum of Rs. 3.61 lakhs has so far been received as central assistance). |
| 15 | Dharuhera Complex | 1.37 | (A sum of Rs. 1.75 lakhs has so far been received as central assistance). |
| 16 | Hodel Complex | 0.81 | |
| | Total : | 26.68 | |

A sum of Rs, 17.11 lakhs has been given by the Government of India as central assistance for the following works:-

1. Construction of a Youth Hostel at Punchkula Rs. 3.61 Lakhs
2. Retiring rooms and a cafetaria at Sahibi Nadi, Dharuhera Rs. 3.50 Lakhs
3. Surajkund Complex Rs. 10.00 Lakhs

**चौधरी राम लाल वधवा :** क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि जो स्थान इन्होंने बताये हैं, इनमें से रैस्टोरैन्ट कहां–कहां पर चल रहे हैं?

**श्रीमती शारदा रानी :** जो स्टेटमैंट हमने दी छै, उसमें रैस्टोरैन्ट्स के नाम भी दिये हुए हैं ।

**श्री प्रेम सुख दास :** सिरसे के अन्दर ओटू में एक बड़ी अच्छी लेक हैं । वह बड़ा अच्छा पिकनिक स्थान है । वहां पर उसका सर्वे भी हुआ था । क्या वहां पर कोई टूरिस्ट–सैटर बनाने के लिये प्रोपोजल ह?

**मुख्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल) :** स्पीकर साहब, मगर अफसोस की बात तो यह है कि यह सेठ वहां पर कभी पिकनिक मनाने के लिए जाता ही नहीं है । (हंसी)

**चौधरी दल सिंह :** क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि ये जो रैस्टोरैन्ट्स है, इनसे वर्ष, 1973 में कितना फायदा हुआ है?

**चौधरी बंसी लाल :** कोई भी रंस्टोरैन्ट घाटे में नही चल रहा है ।

**चौधरी फूल चन्द (मुलाना) :** क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि आने वाले साल में सरकार का कहा–कहा पर टूरिस्ट प्लेसिज और सैंटर्ज खोलने का इरादा है और क्या अम्बाला भी उसमें शामिल है?

**श्रीमती शारदा रानी :** जी हां, अम्बाला भी उसमें शामिल है और अम्बाला के अलावा रोहतक और सोनीपत में भी खोल रहे है ।

**श्री हरि सिंह :** स्पीकर साहब, मेरी कास्टीचूऐंसी सम्भालखा में एक जगह जमुना घाट हैजो सनौली रोड पर सनौली पुल के पास है, क्या वहां पर सरकार का कोई टूरिस्ट स्पॉट बनाने का इरादा है?

**श्रीमती शारदा रानी :** यदि नलवा साहब की वहां पर टूरिस्ट स्पॉट बनवाने की बहुत अधिक इच्छा है तो विचार कर लेंगे ।

**चौधरी राम लाल वधवा :** स्पीकर साहब, मत्री महोदया ने मेरे पहले सवाल के जवाब में यह कहा था कि स्टेटमैंट के अन्दर रैस्टोरैन्ट्स के नाम दिये हुए हैं मैंने तो उसे पढ़ा है लेकिन मुझे कोई नाम नजर नहीं आया । क्या मंत्री महोदया वे नाम बताने को कृपा करेंगी ।

**श्रीमती शारदा रानी :** आप सुनिये मैं बता देती हूं । पुन्डरी में रैस्टोरंन्ट है, पंचकूला में सैनिक–बार है, पिपली में है, चक्रवर्ती लेक में है, सम्भालखा में है, बड़खल लेक में है, घरौंडा में है, सूरजकुण्ड में है, नारनौल में सै, धारूहेडा में है, गुड़गांवा में है, जीन्द में है, हिसार में है, फरीदाबाद में हूँ और भिवानी में है ।

**चौधरी दल सिंह :** स्पीकर साहब, एक तरफ कुरुक्षेत्र है और दूसरी तरफ राम– राय है जो कुरुक्षेत्र की हद है । कुरुक्षेत्र में सरकार ने बड़ी भारी तरक्की की है । कुरुक्षेत्र की अहमियत को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार राम–राय गांव में भी कोई टूरिस्ट सैटर वनाने का विचार रखती है?

**सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त) :** ये तो खुद ही छोड आये राम राय ।.... (व्यवधान )

**चौधरी फूल सिंह कटारिया :** स्पीकर साहब. झज्जर में एक कुदरती झील भिण्डावास में है । वहां पर काफी पानी रहता है और काफी बड़ी झील है । क्या सरकार वहा पर कोई रैस्टोरैन्ट खोलने का इरादा रखती है? अगर नहीं रखती है तो क्या वे बतायेगी कि उस इलाके ने क्या कसूर किया हैं?

**श्रीमती शारदा रानी कटारिया :** साहब की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसे भी कन्सिडर कर लेंगे ।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का :** मत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि मोरनी हिल्ज के टूरिस्ट स्पॉट को पापुलर बनाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

**श्रीमती शारदा रानी :** वहां पर बहुत कठिन रास्ता था लेकिन हमने वहां तक सड़क भी बना दी है । अब तो उसे पापुलर बनाने के लिये टिक्का साहब पर निर्भर करता है कि वे कितने आदमियो को साथ लेकर वहां घूमने जाते है । (हंसी)

**श्री अमर सिंह :** क्या मैली महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि 197 4– 75 मे कितने और टूरिस्ट प्लेसिज बनाने का विचार है और उस पर कुल कितनी अमाउन्ट खर्च करेंगी?

**श्रीमती शारदा रानी :** जैसे मैंने पहले बताया हूँ नये रेस्टोरेन्ट्स हम रोहतक, सोनीपत ओर अम्बाला सिटी मैं अभी बना रहे हैं । इसके अलावा हमने स्टेटमैंट में भी यह दिया हुआ है कि कन्सट्रक्शन आफ ए यूथ होस्टल ऐट पंचकूला, रिटायरिंग रूमज ऐन्ड ए कैफेटेरिया ऐट साहबी नदी, धारूहेडा और सूरजकुण्ड काम्पलैक्स पर काम अभी जारी है । इन्हें हम अगले साल में पूरा कर देंगे ।

**चौधरी मेहर चन्द :** क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेगी कि जो फतेहाबाद लेक है, उसको भी कभी खूबसूरत बनाने का विचार हे?

**श्रीमती शारदा रानी :** उस पर भी विचार कर लेंगे ।

**चौधरी राम लाल वधवा :** क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि यह सच है कि जो चीजें रैस्टोरैन्ट्स में मिलती है, वे मार्किट की निस्बत महंगी हैं? अगर महंगी हैं तो क्या उनके भाव कम करने का विचार करेंगें?

**गृह मंत्री (श्री के0 एल 0 पोसवाल ) :** स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है । बल्कि हमारे तो अभी पुराने ही रेट चल रहे हैं

। हालांकि बाजार में कीमतें बढ़ गयी हैं लेकिन हमने अभी भी पुराने रेट्स रखे हुए हैं ।

**श्री ओम प्रकाश गर्ग :** क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि जो ज्योतिसर में लेक बड़ी सुन्दर बन गयी है, वहां पर भी कोई रैस्टोरैन्ट बनाया जायेगा?

**श्रीमती शारदा रानी :** जी हां । चौधरी राम लाल जी के रेट्स वाले सवाल के उत्तर में मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर वे ढाबे के रेट्स से कम्पेयर करना चाहें तो यह बड़ा मुश्किल है । हमने जो इतनी सुन्दर–सुन्दर जगहें बना रहे हैं वहां पर कम से कम ढाबे से तो अधिक रेट रखना ही पडेगा ।

**चौधरी पीर चन्द :** क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि सरकार हर साल टूरिस्ट प्लेसिज पर कितना रुपया खर्च करती है?

**श्रीमती शारदा रानी :** हमने अपने जवाव में 1– 1– 73 से लेकर 30– 9–73 का ऐक्सपैडीचर दे रखा है ।

**श्री बिहारी लाल बाल्मीकि :** क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि होडल में जो रेस्टोरैन्ट बन रहा बै, वह कितनी देर मैं पूरा हो जायेगा?

**श्रीमती शारदा रानी :** अगले साल तक पूरा कर देंगे ।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का :** क्या मत्री महोदया यह बताने को कृपा करेगी कि यह सच है कि जो दिल्ली में हरियाणा भवन में खाने का प्रबन्ध है, वह बाजार की कीमत से बहुत ज्यादा कम है?

**श्रीमती शारदा रानी :** जी हां ।

**चौधरी राम लाल वधवा :** स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि साल भर में कुल कितने टूरिस्ट्स इन प्लेसिज को विजिट करने हैं?

**श्रीमती शारदा रानी :** जनाब, इन्होंने टूरिस्ट प्लेमिज पर ऐक्सपैडीचर पूछा था, वह हमने बता दिया । टूरिस्ट्स का नम्बर कौन गिनेगा?

**चौधरी फूल चन्द (मुलाना) :** हरियाणा में एक कपाल मोचन सैंटर है, क्या उसकी डिवैल्पमैंट के लिये सरकार सोच रही है और क्या वहां परे कोई रैस्टोरैन्ट खोलने का विचार रखती हे?

**श्रीमती शारदा रानी :** अभी तो इसके लिये कोई बिचार नहीं किया गया।

**Brick Kilns.**

***671. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state—

(a) the total number of Brick Kilns working in the State as on 1-1-1972.

(b) thy total number of Brick Kilns working in the State as on 30-11-1973; and

(c) the rate of Bricks, if any, fixed by the Government ?

**Social Welfare and Taxation Minister** (Shri Shyam Chand);

(a) 731

(b) 429

(c) 1st class Rs. 51/- per thousand

lInd class Rs. 46/- -do-

IIIrd class Rs. 40/- -do-

(Note:—These rates are exclusive of all Taxes.)

**चौधरी दल सिंह :** मत्री महोदय ने उधर में बताया है कि 1972 में 731 भट्ठे थे और 1973 में 429 भट्ठे थे । क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस कमी का क्या कारण है?

**श्री श्याम चन्द :** स्पीकर साहब, पहले रोड्ज का कैश प्रोग्राम चल रहा था लेकिन पिछले सात वह स्लो डाउन हो गया इस कारग भट्ठों मैं कमी हो गई ।

**चौधरी राम लाल वधवा :** क्या सरकार. के नोटिस में यह वात है कि सरकार ने ईटों के जो भाव मुकरर्र किए हैं वे उस

भाव पर नहीं मिलती बल्कि ब्लैक में मिलती है? अगर यह बात ठीक है तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही कब?

**श्री श्याम चन्द :** स्पीकर साहब, ब्लैक में कोई नहीं बिकती । भट्ठे वाले अपना नान–स्पोसड कोल मंगाते है और वे ईटों को अपने भाव पर बेचते हैं ।

**श्री अमर सिंह :** जैसा कि मंत्री महोदयय ने फरमाया है कि 1972 में 731 भट्ठे थे और 1973 में 429 भट्ठे थे और इस कभी का कारण क्रेश प्रोग्राम बताया है क्या यह हकीकत नही है कि कोयला न मिलने के कारण भट्ठे कम रहे?

**श्री श्याम चन्द :** स्पीकर साहब, यह दोनों ही बातें हैं कि कुछ तो कोयले की कमी रही और जो मेन कारण है वह यही है कि जो सड़कों का दश प्रोग्राम चल रहा था वह स्लो डाउन हो गया । देहातो के अन्दर काफी सड़कें बन रही थी वह बन्द हो गई इस वजह से वह काम काफी डोला पड़ गया ।

**चौधरी दल सिंह :** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट को कोयला किस आधार पर मिलता है? क्या गवर्नमैंट आफ इंडिया कोई क्वांटिटी मकरर्र करती है या स्टेट खुद मंगाती है और उस कोयले की तकसीम कैसे होती है?

**श्री श्याम चन्द :** जो स्पोंसडे कोल होता है उसको गवर्नमैंट मंगाती है और डी . सी . और डी . एफ . एस . ओ ० के थरु डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है । थे ही कन– साइनी होते हैं ।

**चौधरी पीर सिंह** : क्या मंत्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि जो ये 731 भट्ठे बताए है उनमें से हरिजनों के कितने हैं मौर क्या हरिजनो को भट्ठा लगाने के लिए कोई रियायत दी जाती है ?

**श्री श्याम चन्द** : अगर चौधरी पीर चन्द भट्ठा लगाएं तो उनको रियायत मिल सकती है ।

**चौधरी राम लाल वधवा** : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो कोयले की गाडिदा आती हैं वह कोयला भट्ठों पर नहीं जाता बल्कि वहां पर ही वह कोयला ब्लैक में बेच देते ह? क्या यह ठीक है?

**श्री श्याम चन्द** : सरकार के नोटिस में कोई ऐसी बात्त नहीं है अगर मानरेबल मैम्बर सरकार के नोटिस में कोई बात लाएं तो एक्शन लिया जाएगा ।

**श्री ओम प्रकाश गर्ग** : क्या मंत्री महोदय बताने को कृपा करेगे कि सारे भट्ठों पर लेबर हरिजनों की होती है?

**श्री श्याम चन्द** : मुन्शी बनिए होते है

**चौधरी दल सिंह** : क्या मंत्री महोदय बताने 'की .कृपा करेगे कि गवर्नमैट के भट्ठे कितने है जो गवर्नमैंट से एडिड है ।

**श्री श्याम चन्द** : स्पीकर साहब, एडिड तो कोई ' भट्ठा होता नहीं है । स्पोसर्ड कोयला गवर्नमैंट मंगाती है और

नान–स्पोंसर्ड कोयला भट्ठे वाले अपना मंगाते हैं और उसी आधार पर वे इटे बेचते हैं

**श्री अमर सिह :** मंत्री महोदय ने बताया है कि क्लास वन ईटें 51 रुपये प्रति हजार, क्लास टू 46 रुपए और कलास जी 40 रुपए फी हजार का भाव मुकरर्र किया हुआ है । क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह हकीकत नही है कि ईटे 105 रुपए और 110 रुपए के भाव से बिकती है?

**श्री श्याम चन्द :** स्पीकर साहब, मैंनै इसका जवाब पहले ही दे दिया है कि जो नान–स्पोसर्ड कोल है वे खुद मंगाते है और हमारी उन पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

**चौधरी राम लाल वधबा :** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह रेट कब से फिक्स हुए हैं?

**श्री श्याम चन्द :** 1–1–1972 से ।

**Ambulance Cars**

***683. Chaudhri Mehar Chand** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a). the districtwise –names of the Hospitals where the facility of ambulance cars has been provided in the State ;

(b) whether the Governmant intends to further provide this facility to all the Hospitals located at Sub-Divisional Headquarters in the State ; and

(c) if so, the time by which the said facility is likely to be provided to all the Hospitals located at Sub-Divisional Headquarters in the State ?

**गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा रानी ) :**

(ए) जिन–जिन हस्पतालों में एम्बुलैन्स कार को सुविधा प्रदान की गई है उनके नामो की जिला वाईज सूची उपबंध (ए ) पर सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(बी) हां ।

(सी) इस अवस्था में कोई निश्चित समय नहीं दिया णा सकता ।

उपबंध (ए )

List of Sub Divisional Headquarters Hospitals where Ambulance Cars are Available in Haryana State.

| Name of the Sub-Divisional Head quarters Hospitals | By whom provided | Remarks |
|---|---|---|
| Ambala District. | | |
| 1. Civil Hospital, Ambala, | Red Cross | |
| 2 Civil Hospital, Naraingarh. | -do- | |
| 3. Civil Hospital Jagadhri. | -do- | |
| Bhiwani District, | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | Civil Hospital, Bhiwani. | Red Cross | |
| Gurgaon District. | | | |
| 5. | Civil Hospital, Gurgaon. | Red Cross | |
| 6. | Civil Hospital, Ballabgarh. | Govt. of India | |
| Hissar District. | | | |
| 7. | Civil Hospital, Hissar, | Red Cross. | |
| 8. | Civil Hospital, Fatehabad. | -do- | |
| 9. | Civil Hospital, Hansi. | -do- | |
| 10. | Civil Hospital, Sirsa. | -do- | |
| Jind District | | | |
| 11. | Civil Hospital, Jind. | (i) Red Cross<br>(ii) Mun Committee, | |
| 12. | Civil Hospital, Narwana' | Red Cross | |
| Karnal District | | | |
| 13. | Civil Hospital, Karnal. | (i) Red Cross<br>(ii) Red Cross | Accidented. Orders for new Amb, cars have already been placed by Red |

Cross,

14, Civil Hospital, Panipat -do-

Kurukshetra District,

15, Civil Hospital, Kurukshetra, Red Cross

16. Civil Hospital, Kaithal Red Cross

Mohindergarh District,

17. Civil Hospital, Narnaul, (i) Red Cross

Rohtak District

18. Civil Hospital, Rohtak Red Cross

19. Civil Hospital, Jhajjar, -do-

Sonepat District

20. Civil Hospital, Sonepat, Red Cross

**चौधरी मेहर चन्द :** स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पार्ट (बी ) का जवाब हां में दिया है लेकिन क्या मैं यह कहने को हिम्मत कर सकता हूं कि अगर वह (सी) पार्ट का जवाब भी हां में दे दे तो वहुत अच्छा रहे ।

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय. इसमें ऐसा है कि एम्बूलैस कार ज्यादातर रैड कास की होती है और रैड क्रास

संस्था की डिस्टिक्ट ब्रांच उनको खुद खरीदती है । रैड कास को स्टेट ब्रान्च चार हजार रुपए की सहायता डिस्ट्रिक्ट ब्रांच को देती है और बाकी रुपया डिस्ट्रिक्ट ब्रांच को क्लेक्ट करना पड़ता है । डिस्ट्रिक्ट ब्रांच जितना रुपया इकट्ठा करके स्टेट ब्रांच को दे उनको उतनी ही संख्या में एम्बूलैस मिल सकती हैं हमने सभी जिलों की ब्रान्चिज को रिक्वेस्ट की है कि वह ज्यादा से ज्यादा रुपया इकट्ठा करके दें ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां रैड क्रास खरीद सके

**चौधरी दल सिंह :** डिस्ट्रिक्ट हैड क्यार्टर पर जो एम्बूलैंस हैं उनमे से काफी कन्डैम्ड हैं जिसकी वजह से जब कभी किसी सीरियस मरीज को दूसरे अस्पताल में भेजा जाता है तो वे रास्ते में ही खडी हो जाती हैं, इस तरह से मरीजो का नुक्सान होता है । क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

**मुध्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल ) :** स्पीकर साहब, ऐसा है चौधरी दल सिंह की एम्बूलैंस खराब होने की शिकायत है वह ठीक है । खासी शिकायतें डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर एम्बूलैसं खराब होने को मेरे नोटिस में आई हैं और मैंने डी0 सीज0 को वरवल इंस्ट्रक्शंज दी हैं कि लोगों से वालन्टरी पैसा इकट्ठा करें या किसी साधन से ऐसा करें कि टैम्पो टाईप को जो एम्बूलैस है यह न हों । यह ज्यादा लम्बे रास्ते पर य कच्चे रास्ते पर नहीं चल सकती । उनकी बजाए जीप टाईप जो एम्बूलेसिज हैं वे हर डिस्ट्रिक्ट

हैडक्वार्टर पर अवेलेबल हों । ऐसी वरबल इंस्ट्रकशन्ज डी 0 सोज 0 को मैंने दी है ।

**श्री गुलाब सिंह जैन :** स्पीकर साहब, इस वक्त जो एम्बूलैंसिज हैं वे चीफ मैडीकल आफिसर के अन्डर होती हैं । अगर किसी को एम्बूलैस को जरुरत होती है तो उससे इजाजत लेनी पड़ती है । कई दफा वह रात को अवेलेबल ही नहीं होती या उसके मिलने मे काफी दि क्कत आती है । क्या मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि उन एम्बूलैसिज को फायर ब्रिगेड के अन्डर लाने का सरकार का कोई विचार है जिससे कि लोगों को वे आसानी से तथा जरूरत के वक्त मिल सकें?

**श्रीमती शारदा रानी :** फायर ब्रिगेड के अन्डर तो लाना बहुत कठिन है लेकिन ऐसा प्रबन्ध करने की सोच लेंगे कि एम्बूलैस गाडियां समय पर उपलब्ध हो सकें और उनको प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो । अगर इस प्रकार की कठिनाई आती है तो उनको देख लिया जाएगा ।

**चौधरी फूल सिंह कटारिया :** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगी कि जो सब–डिविजनल हैंड क्वार्टज हैं और जहां पर बड़े अस्पताल है क्या वहां पर भी एम्बूलैस का इन्तजाम किया जाएगा?

**श्रीमती शारदा रानी :** हमारे बीस सब–डिविजनल हैड क्वार्टज पर एम्बूलैसिज का इन्तजाम है ।

**श्री गौरी शंकर :** क्या मत्री महोदया बताने का कष्ट करें गी कि अगर कही के लोग चार हजार रुपया जमा करा दें तो वहा पर एम्बूलैस का इन्तजाम हो जाएगा?

**श्रीमती शारदा रानी :** चार हजार रुपया उन्होंने जमा नहीं कराना है उन्होने ' तो सारी रकम जमा करानी है । चार हजार रुपया तो स्टेट रैड क्रास डिस्ट्रिक्ट, रेड कास ब्राच को सहायता के रूप में देती है । एक एम्बूलैंस चालीस हजार रुपए में आती है ।

**Tractor Manufacturing Plants**

***714. Shri Girish Chander Joshi :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the names of the tractor manufacturing plants in the State alongwith the total number of tractors manufactured by the said plants during the period from 1-4-1968 to 31-12-1973;

(b) the yearwise approximate demand of tractors by the Agriculturists in the State during the period as referred to in part (a) above ; and

(c) the yearwise approximate number of tractors exported from the State during the period as referred to in part (a) above ?

**Industries Minister** (Shri Harpal Singh) :

(a), (b) and (c)—A statement is placed on the table of

the House.

| Names of tractors manufacturing | No. of tractors manufactured during units. the period from 1-4-68 to 31-12-73. |
|---|---|
| (a) (i) Hindustan Machine Tools, Pinjore. | 6,550 |
| (ii) Escorts Limited, Faridabad. | 39,112 |
| (iii) Escorts Tractors Ltd., Faridabad. | 5,157 |
| (iv) Eicher Tractor (India) Faridabad. | 4,070 |
| Total | 54,889 |
| (b) 1968-69 | 300 |
| 1969-70 | 1,804 |
| 1970-71 | 15,717 |
| 1971-72 | 3,648 |
| 1972-73 | 2,449 |
| Up to December, 1973 | 1,086 |

(c) During 1969 2

During 1972-73 7

**श्री गिरीश चन्द्र जोशी :** मंत्री महोदय ने पार्ट ( बी ) के जवाब में बताया है कि 1971 – 72 में 3, 648 ट्रैक्टर्ज की डिमान्ड थी, 1 972–73 में 2,449 और दिसम्बर 1975 तक 1086 । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कमी होने का क्या कारण है?

**श्री हरपाल सिंह :** स्पीकर साहब, मांग घटने का कारण यह है कि एक तो प्राईस ज्यादा हो गई । जो इंफलेटिड डिमान्ड थी यानी कि जो लोग ऐसे ही रजिस्ट्रेशन करवा देते थे और चूंकि ट्रेक्टर में प्रिमियम ज्यादा था इसलिए वे बेच देते थे लेकिन प्राईसिज ज्यादा होने से जो इंफ्लेटिड डिमांड थी यह कम हो गई और जो एक्चुअल डिमांड थी उसी के अगेंस्ट लोग अब रजिस्ट्रेशन कराने लगे इस कारण से डिमांड घटती चली गई ।

**चौधरी दल सिंह :** क्या मन्त्री महोदय यह वताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सच है कि डिमान्ड घटने का कारण यह है कि ट्रेक्टर की जो क्वालिटी है वह खराब है?

**श्री हरपाल सिंह :** स्पीकर साहब, पहले ट्रेक्टर इम्पोरटिड भी आते थे लेकिन 1973 में गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इस पालिसी को चेन्ज कर दिया और इम्पोरटिड ट्रेक्टर आने बन्द हो गए । अब देश में ही ट्रेक्टर बनते है और वे ही अवेलेबल हैं ।

**श्री गिरीश चन्द्र जोशी :** पार्ट (सी) में मंत्री महोदय ने बताया है कि वर्ष 1972– 73 में सात ट्रेक्टर ऐक्सपोर्ट हुए । क्या मली महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ऐक्सपोर्ट करने का क्राइटेरिया क्या है?

**श्री हरपाल सिंह :** स्पीकर साहव, एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर से जो इक्वारीज गवर्नमैंट आफ इंडिया को आती हैं वह जो मैनुफैकचरर कम्पनीज हैं उनको इन्क्वारीज भेज देती है और स्टेट को भी भेज देती है । स्टेट वाले आगे पास–आन कर देते हैं । जो मैंनुफैकचरर होते हैं वे इन्कवारी करने वालों से अपने आप कांट्रैक्ट कर लेते हैं और जिनको वह कान्ट्रेक्ट मिलता है वह एक्सपोर्ट कर देता है ।

**चौधरी शिव राम वर्मा :** मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि ट्रैक्टर्ज इम्पोर्ट होना बन्द हो गए हैं । क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि लोगों ने एग्रो–इंडस्ट्रीज के पास ट्रेक्टर्ज के लिए पैसे जमा कराए हैं उनका क्या होगा?

**श्री हरपाल सिंह :** स्पीकर साहब, जीटर ट्रैक्टर के लिए रिजर्वेशन है । ये ट्रैक्टर्ज हमारे यहा बनते हैं और एचएमटी वाले सप्लाई कर रहे हैं । जैसे–जैसे उधर से ट्रैक्टर मिलते जा व्हे हैं उनको रिजर्वेशन के मुताबिक ट्रैक्टर दिये जाते हैं ।

**मलिक सतराम दास बसरा :** स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब बतलाएगे कि यह जो एस्कोर्ट ट्रैक्टर हैं, जोकि

वाकई सुपीरियर समझे जाते हैं इनकी बाडी के ऊपर लोग तीन तरह के इंजन धर देते हैं । क्या इस बारे में कभी किसी एक्सपटं से एग्जामिन भी करवाया है?

**श्री हरपाल सिह :** स्पीकर साहब, उनकी सेल हो रही है और लोगों में उसकी डिमाड भी वहुत है । अगर अच्छे नहीं होंगे तो लोग अपने ही आप लेना बन्द कर देंगे ।

**श्री अमर सिंह :** स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब फरमाएंगे कि जीटर ट्रैक्टर की 1968 में क्या कीमत थी और अब क्या है?

**श्री हरपाल सिंह :** स्पीकर साहब, इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि इसकी कीमत गवर्नमैंट आफ इंडिया रिव्यू करती है और इसके साथ–साथ रा–मैटिरियल वगैरह कई दूसरे भी फैक्टर्ज है जिनकी कीमतो को देखते हुए साल के साल कीमते रिवाइज होती रहती हैं ।

**कृषि मंत्री ( चौधरी भजन लाल ) :** स्पीकर साहब । इस बारे में मैं बता देता हूं कि 68 में जीटर ट्रैक्टर की कीमत 14 हजार थी और अब इस वक्त उसकी कीमत 27 हजार रुपये है ।

**चौधरी राम लाल वधवा :** स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेगे कि यह फैक्ट है कि लैड सीलिंग होने के कारण ट्रैक्टर खरीदने की लोगों की डिमान्ड घट रही है क्योंकि लैन्ड सीलिंग के कारण लोगों के पास जमीन भी

कम रह गई है और इ स हालत में ट्रैक्टर्ज बहुत एक्सपैनसिव भी पड़ते है?

**चौधरी भजन साल :** अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है । इसका कारण यह है लेकिन इसके साथ–साथ दूसरी बात यह भी है कि एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ने 17 फारमर सैन्टर खोले हु ए हैं ओर इन 17 सैन्टरो के नीचे 30 सब सैन्टर्ज भी खोले गए हैं ताकि हर छोटा किसान वहां से ट्रेक्टर किराये पर लेकर खेती करवा सके ।

**मलिक सतर दास बतरा :** क्या मिनिस्टर साहब यह बताएंगे कि आपकी वर्कशाप्स से जो ट्रैक्टज निकलते हैं वहां से खेत में जा ने तक उनका भाड़ा गिनना शुरु हो जाता है और उस मे लोगों से भाड़ा भी ज्यादा मांगते हैं, क्या यह दुरूस्त है?

**चौधरी भजन लाल :** स्पीकर साहब, यह बात टीक है कि वर्कशाप से जब ट्रैक्टर चलता है तो घण्टो के हिसाब से वहीं से उसका किराया शुरू हो जाता है ।

**चौधरी दल सिंह :** स्पीकर साहब, इस समय हरियाणा प्रान्त के अन्दर ज्यादा इम्मोर्टिड ट्रैक्टर्ज हैं और अब यह इम्पोर्ट नहीं करते, इस पर सरकार ने पाबन्दी लगा दी है तो क्या सरकार इनके पुर्जो के लिये कोई इन्तजाम करने जा रही है ताकि वह खराब न हो सके ।

**चौधरी भजन लाल :** स्पीकर साहब, मैं आनरेबल मैम्बर को यह बता देना चाहता हूं कि ऐ सी बात नही है कि बाहर से कोई ट्रैक्टर्ज ही नहीं आऐंगे । बर्ल्ड बैक से हमें तीन हजार ट्रैक्टर्ज सैंक्शन हुए थे और तीन हजार ट्रैक्टज वर्ल्ड बैन्क के द्वारा हमारे यहां पर बहुत जल्द आनँ की उम्मीद है ।

**श्री अध्यक्ष :** चौधरी साहब, यह तो पुर्जो के मुताल्लिक पूछते हैं ।

**चौधरी भजन लाल :** हां जी, इ सके साथ–साथ पुर्जे भी आते हैं ।

**श्री अमर सिंह :** स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब, यह बतलाएगे .कि क्या यह हकीकत है कि हर सब–डिविजन पर और डिस्ट्रिक्ट हैड–क्वाटर्ज पर जो एग्रो– इडस्ट्रीज के ट्रैक्टज अवेलेबल है, रीसैन्टली उनकी कीमतें डबल कर दी गई हैं?

**चौधरी भजन लाल :** स्पीकर साहब, ऐसी बात नहीं है ।

**चौधरी शिव राम वर्मा :** स्पीकर साहब, जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि 3 हजार ट्रैक्टज इम्पोर्ट करेगे उन में कौन–कौन से ट्रैक्टर्ज शामिल हैं क्या बाई–लारस भी उन में शामिल हैं?

**चौधरी भजन लाल** : अध्यक्ष महोदय, उन में हो सकता है बाई–लारस भी शामिल हो और दूसरे भी । कई किस्म के ट्रैक्टर आने की सम्भावना है ।

**चौधरी दल सिंह** : स्पीकर साहब, जैसा कि अभी मिनिस्टर साहव ने फरमाया कि लोगों को यहां कि फैक्टरी से बने हुए ट्रैक्टर्ज देंगे और वह भी उन लोगों को देगे जिन्होंने एग्रो इंडस्ट्रीज के पास पहले एडवान्स बुक करवा रखा होगा । लेकिन क्या कारण है कि जो ट्रैक्टज बाहर से मंगवा रहे हैं वह नहीं दिये जाते?

**चौधरी भजन लाल** : स्पीकर साहब, इस समय एग्रो इंडस्ट्रीज के पास 520 नम्बर दर्ज हैं और जो ट्रैक्टर आते हैं पहले उन लोगों को दिये जाते हैं जिनका नम्बर पहले होना है ओर फिर उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि जिस मेक का सरकार के पास ट्रैक्टर है, वह ले या न ले, इसके लिये उसके ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है ।

**Primary Health Centres**

***554. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the districtwise total number of Primary Health Centres working in the State at present together with the strength of staff in each case ; and

(b) whether the staff is adequate in all the

Primary Health Centres. if not, the reasons therefor.

**गृह एवं स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्रीमती शारदा रानी ) :**

(ए ) ( 1 ) अम्बाला 8

( 2 ) कुरुक्षेत्र 6

( 3 ) करनाल 9

( 4 ) रोहतक 10

( 5 ) जींद 7

( 6 ) हिसार 15

( 7 ) सोनीपत 6

( 8 ) भिवानी 7

( 9 ) महेन्द्रगढ 8

( 10 ) गुडगावा 13

हर केन्द्र के अमले को तादाद की लिस्ट जो कि पी. एच. सी को किस्म पर निर्भर है, सदन के टेबल पर प्रस्तुत है

( बी ) अमला कुछ हैलथ सैटंरो में पूरा है जबकि कुछ में ऐश नहीं है । इस का कारण अलग–अलग स्टाफिंग नार्म है जो कि संयुक्त पंजाब, पैप्सु सरकार तथा भारत सरकार द्वारा इन

केन्द्रों को खोलते समय निधार्रित किया गया था । सभी प्राईमरी स्वासथ्य केन्द्रों के स्टार्फिग नार्म के नामों मानकीकरण करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

**STATEMENT**

In regard to the strength of staff, the Primary Health Centres can be divided into 4 different categories mentioned below :—

1 Primary Health Units by upgradation of dispensaries.

| | Sr. No. | Category of Post | Health Side | F.P. | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | Medical Officer | 3 | 1 | 4 |
| *One for | 2. | Dispensars | 3 | | 3 |
| 40,000 population . | 3. | Lady Health Visitor/ Stair Nurse. | 4 | *1 | 5 |
| | 4. | Sanitary Inspector | 2 | | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. | Driver | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Auxiliary Nurse Midwives. | 4 (One for main centre & others for sub-centres) | 4 to 6 (One for main centres and others for sub-centres depending upon the population of the block.) | 8 to 10 |
| 7 | Class IV Employees | 14 | | 14 |
| 8 | Peon | 1 | | 1 |
| 9 | Clerk-cum-storekeeper | | 1 | 1 |
| 10 | Computor | | 1 | 1 |
| 11 | Family Planning Extension Educator: | | 1 | 1 |
| 12 | Family Planning Field Workers. | | 4 | 4(one for 20,000 population) |
| 13 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Attendant. | | | |
| | | | 4 to 6 | 4 to 6 |

2. Primary Health Centres (Community Development Pattern ) by upgradaion of dispensaries.

| Sr. No. | Category of post | Health Side | F. P. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Medical Officer | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Dispensar | 2 | | 2 |
| 3. | Sanitary Inspector | I | | 1 |
| 4. | Lady Health Visitor/ Staff Nurse. | 1 | 1 (for 40.000 population). | 2 |
| 5. | Driver | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Auxiliary Nurse Midwives | 4 (One for main centre & others for sub-centres) | 4 to 6 | 8 to 10 (One for main centre & others for sub.centres) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Class IV employees | 4 | | 4 |
| 8. | Family Planning Extension Educator | | 1 | 1 |
| 9. | Family Planning Field worker. | | 4 | 4(One for 20,000 population.) |
| 10. | Clerk-cum-storekeeper. | | 1 | 1 |
| 11. | Computor | | 1 | 1 |
| 12. | Attendant | | 4 to 6 | 4 to 6 |

3. Primary Health Centres ( Community Development pattern ) opened at such places where no dispensary existed.

| Sr. No. | Category of post | Health Side | F. P. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Medical Officer. | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Dispensar | 1 | | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | Sanitary Inspector | 1 | | 1 |
| 4. | Lady Health Visitor/ Staff Nurse. | 1 | 1 (for 40,000 population) | 2 |
| 5. | Auxiliary Nurse Midwives | 4 (One for main centre and others for sub- cenres). | 4 to 6 (One for main centre and others for sub-centres.) | 8 to 10 |
| 6. | Clerk-cum-storekeeper | | 1 | 1 |
| 7. | Computor | | 1 | 1 |
| 8. | Class IV employees | 2 | | 2 |
| 9. | Driver | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Family Planning Extension Educator | | 1 | 1 |
| 11. | Family Plarnning Field Worker. | | 4(One for 20,000 population) | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | Attendant | | 4 to 6 | 4 to 6 |
| 4. | Primary Health Centres (Pepsu Pattern). | | | |
| 1 | Medical Officer | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Dispensar | 2 | | 2 |
| 3. | Sanitary Inspector | 1 | | 1 |
| 4. | S.I.-cum-Vaccinator | 1 | | 1 |
| 5. | Lady Health Visitor/ Staff Nurse | 1 | 1 (for 40,000 population) | |
| 6. | Auxiliary Nurse Midwives/Dais | 4 | 4 to 6 | 8 to 10 |
| 7. | Clerk | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Peon | 1 | | 1 |
| 9. | Gangman (Class IV) | 10 | | 10 |
| 10. | Drivers | 1 | 1 | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11. | Family Planning Extension Educator | 1 | 1 |
| 12. | Family Planning Field Worker | 4 (One for 20,000 population) | 4 |
| 13. | Attendant | 4 to 6 | 4 to 6 |

District-wise distribution of Primary Health Centres according to staffing pattern mentioned above is as under

| Sr. No | District. | Total No. of PHCs. | No. of PHCs | No. of PHC's (C.D. pattern) set up by up-grading Dispensa | No. of PHCs (C.D. pattern) where no dispensaries existed earlier. | No. of Pepsu pattern PHCs. |
|---|---|---|---|---|---|---|

ries.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ambala | 8 | 2 | 6 | | |
| 2. | Kurukshetra | 6 | | 6 | | |
| 3. | Karnal | 9 | 2 | 7 | | |
| 4. | Rohtak | 10 | 1 | 4 | 5 | |
| 5. | Jind | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Sonepat | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 7. | Hissar | 15 | 2 | 11 | 2 | |
| 8. | Bhiwani | 7 | 1 | 4 | | 2 |
| 9. | Mohindegarh | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 10. | Gurgaon | 13 | 1 | 3 | 9 | |
| | Total | 89 | 13 | 49 | 21 | 6 |

**चौधरी दल सिंह :** क्या मिनिस्टर महोदया यह बताने को कृपा करेंगी कि जैसा कि उन्होने अपने जवाब में भी कहा है कि किसी जिले में हैल्थ सैन्टर्ज की तादाद कम है और किसी जिले में ज्यादा हैं तो इसकी वेरीएशन के क्या कारण है?

**श्रीमती शारदा रानी :** जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये सैन्टर्ज अलग–अलग पैटर्न के हैं । क्योंकि ये कुछ तो संयुक्त पंजाब में बने थे और कुछ पैम्सू के टाईम में बने थे और उन द्वारा निर्धारित किये गये नार्म के अनुसार ही ये चल रहे हैं ।

इसके बाद भारत सरकार ने सी0 डी 0 पैटर्न दिया था कि कम स्टाफ के साथ देहातों में ज्यादा फैसिलिटीज देने को कोशिश की जाए, कुछ उस के आधार पर खुले हैं । तो इसलिए स्टाफ का नाम अलग–अलग है लेकिन अब यह सवाल सरकार के विचाराधीन हैं कि इन सैन्टर्ज में एक जैसा स्टाफ किया जाए ।

**श्री के. एन. गुलाटी :** स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदया यह बताएगी कि सैक्टर सात, फरीदाबाद में जो प्राइमरी हैल्थ सैन्टर है, वहां पर कोई डाक्टर नहीं है सरकार वहां पर कब तक डाक्टर भेजने का प्रबन्ध कर देगी?

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, सात सैक्टर, फरीदाबाद में कोई प्राइमरी हैल्थ सैन्टर नही है । प्राइमरी हैल्थ सैन्टर तो रुरल एरियाज के अन्दर ब्लाकस में होते हैं ।

**चौधरी फूल सिंह कटारिया :** स्पीकर साहब, नाहड जो तहसील झझर में है वहां पर स्टाफ नहीं है तो क्या सरकार वहां पर स्टाफ भेजने की कोशिश करेंगी?

**श्रीमती शारदा रानी :** जहां जहां पर स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है ।

**चौधरी राम लाल वधवा :** स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि इन प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज को खोलने का क्या क्राइटेरिया है? आया ये गांव के लिहाज से खोले जाते हैं या कि एरिया के लिहाज से खोले जाते हैं ।

**श्रीमती शारदा रानी :** जी नहीं । एक ब्लाक में एक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर हम खोल रहे हैं और अब तक 81 ब्लाकस में 89 प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज हमारे चल रहे हैं । कहीं कहीं ब्लाक की स्थिति को देखते हुए दो–दो प्राइमरी हैल्थ सैन्टर खोले गये थे । अब हमारे पास चार ब्लाक्स ओर नये वन गये हैं । उनमें देखा जाएगा कि यदि कोई प्राइमरी हैल्थ सैन्टर उसके अन्दर नही पड़ता है तो वहां पर प्राइमरी हैल्थ सैन्टर और खोल दिया जाएगा ।

**श्री जगजीत सिंह टिक्का :** स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर महोदया यह बताएंगी कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना में हरेक ब्लाक में हैल्थ सैन्टर खोलने की सरकार की कोई योजना है?

**श्रीमती शारदा रानी :** जी नहीं ।

**श्री गौरी शंकर :** क्या मन्त्री महोदया यह बताएंगी कि जिन प्राइमरी हैल्प सैन्टर्ज में लेडी डाक्टर की पोस्टें हैं और वहां पर लेडी डाक्टर नही हैं तो क्या उनमें सरकार लेडी डाक्टर लगाने का विचार रखती है?

**श्रीमती शारदा रानी :** अध्यक्ष महोदय, लेडी डाक्टर की अलग से पोस्ट नहीं होती । ऐसा हूँ कि प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज में दो पोस्टें डाक्टर्ज की होती हैं और जहां–जहां दो पोस्टें होती है, वहां पर एक मेल डाक्टर रखते है और एक फीभेल डाक्टर रखते हैं । लेडी डाक्टर की हमारे पास कमी है, जैसे जैसे हमको मिलती

जाएंगी हम हरेक प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में एक लेडी डाक्टर रखते जाएंगे ।

**मलिक सतराम दास बतरा :** स्पीकर साहब, क्या मन्त्री महोदया यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या यह दुरूस्त है कि प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज में तीन डाक्टरी को व्यवस्था होती है और रहने के लिये क्वार्टर सिर्फ एक ही होता है? क्या सरकार इस कमी को पूरा करने का विचार रखती है?

**श्रीमती शारदा रानी :** स्पीकर साहब, यह तो अलग–अलग पैटर्न पर निर्भर करता है जैसा मैंने अभी बताया है और जैसे–जैसे हमें फण्डज उपलब्ध होते आएंगे, हम सारे स्टाफ के लिये प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज में क्वाटेर्ज बनाएंगे और दो नये हैल्थ सैन्टर्ज को बिल्डिंग्ज हम बना रहे हैं, उन में सब के लिये क्यार्टर्ज उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है ।

**श्री अगर सिंह :** क्या मिनिस्टर महोदया यह बताएंगी कि हरियाणा में जो 89 प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्ज हैं, उन पर लास्ट ईयर कितना खर्चा हुआ है?

**उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह) :** स्पीकर साहब, इस पर कोई लगभग 57 लाख रुपये के करीब खर्च हुआ है ।

**चौधरी रामजी लाल :** डागर स्पीकर साहब, मडकोला प्राइमरी हैल्थ सैन्टर में स्टाफ पूरा नहीं है और क्या सरकार इसको पूरा करने की कोशिश करेगी?

**श्रीमती शारदा रानी :** वहां पर स्टाफ पूरा करने की कोशिश की जाएगी?

**Requirement of Electricity**

***672. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state -

(a) the quantity of Electricity required in the State during the year 1972-73;

(b) the quantity of Electricity supplied in the State during the year 1972-73;

(c) the number of Thermal Plants which were in service in the State as on 31.3.1973;

(d) the number of Thermal Plants together with their location which are under construction at present in the State ; and

(e) the number of Thermal Plants needed in the State for the full supply of electricity ?

**State Minister for Irrigation and Power** (Sardar Harmohinder Singh Chatha) :

(a) 1,920 Million Units.

(b) 1,663 Million Units.

(c) Two.

(d) One at Faridabad. Steps for the purchase of machinery etc. in regard to the construction of another Thermal Plant at Panipat are being taken.

(e) The number of Thermal Plants needed depends upon the capacity of each Thermal Plant to be sanctioned by the Government of India.

**चौधरी दल सिंह :** स्पीकर साहव, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने जवाब में फरमाया है कि 1972– 73 में हमें 1920 मिलियन यूनिटस की आवश्यकता थी और 1663 मिलियन यूनिट बिजली सप्लाई की गई । मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार इस कमी को पूरा करने का विचार रखती है?

**सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा :** स्पीकर साहब, इस साल हमारा फरीदाबाद का थर्मल प्लांट अप्रैल में चालू होने जा रहा है ।

**Production of Foodgrain**

***684. Chaudhri Mehar Chand ;** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the total quantity of foodgrain produced in the State during the years 1966-67 and 1972-73, separately ;

(b) the total quantity of foodgrain likely to be produced during the year 1973-74 ;

(c) the target fixed for production of foodgrain during the year 1974-75 ; and

the steps, if any, taken or proposed to be taken to achieve the target as referred to in part (c) above ?

**कृषि मन्त्री ( चौधरी भजन लाल ) :**

( क ) कुल खाद्यान्न उत्पादन ( 000 टन में )

| 1966–67 | 1972–73 |
|---|---|
| 2,592 | 3,943 |

( ख ) 5,000 टन (अनुमानित )

( ग ) वर्ष 1974– 75 में खाद्यान्न उत्पादन के लक्षय निम्न प्रकार हैं:–

उत्पादन ( 000 टन में )

| खरीफ | रबी | कुल |
|---|---|---|
| 1,542 | 3,558 | 5,100 |

( घ ) हरियाणा कृषि महाविद्यालय के सहयोग से प्रत्येक क्रोप सीजन में बड़े पैमाने पर अभियान चलाये जायेगे । बीज, खाद तथा कीटनाशक दवाइयों की पूर्ति समय पर उपलब्ध कराई जावेगी । किसानों को ट्यूवयैल्ज पम्पिंग सैट लगाने तथा भूमि को काश्त योग्य बनाने के लिए कर्जा दिया जायेगा ।

10.00 बजे

**चौधरी मेहर चन्द :** क्या मन्त्री महोदय बताने को कृपा करेंगे कि क्रौप्स को इनसैक्टस से बचाने के लिये क्या इफैक्टिब अरेंजमैंटस किये गये है?

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय समय–समय पर हम सारा इन्तजाम करते हैं । एग्रीकल्चर यूनिवसिंटी की सहायता से जहां जिस किस्म की जरुरत होती है वह हम पूरी करते हैं ।

**श्री हरि सिंह :** क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि फूड–प्रोडक्शन करे बढ़ाने के लिये डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर्ज पर या ब्लाक वाइज कोई ट्रेनिंग सैंटर खोलने का विचार है जिसमें कि जमीदारों को ट्रेनिंग दी जा सके?

**चौधरी भजन लाल :** एग्रीक्लचर यूनिवर्सिटी के सहयोग से हमने बहुत सी जगह ट्रेनिंग सैटर खोले हुए है ।

**चौधरी राम लाल वधबा :** जैसे मन्त्री महोदय ने बताया कि 50 लाख टन का निशाना है तो क्या वे बताएंगे कि थे टारगेट में से हरियाणा की आवश्यकता कितनी है और बाहर कितना जाएगा?

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय ऐसा है कि स्टेट में हर साल 15– 16 लाख टन गेहूं हमारे अपने खाने के लिये खर्च होता है और बाकी जो बचता है वह हम बाहर भेज देते हैं या सैन्ट्रल पूल में जाता है ।

**चौधरी मेहर चन्द :** जैसे मंत्री महोदय ने अभी बताया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की सहायता से इनसैक्ट्स, पैस्ट को कन्ट्रोल किया जाता है । क्या वे बताएगे कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट में 1,500 के करीब फील्ड स्टाफ है वह क्या करता है,

**चौधरी भजन लाल :** फील्ड स्टाफ भी बहुत काम करता है । हमने हर दस गांवों के पीछे एक–एक एग्रीकल्चर इन्सपैक्टर लगाया हुआ है और उनके ऊपर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर भी लगाए हुए हैं । एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हम सहयोग लेते हूँ ताकि किसानों को यह बता सके कि नया पंटर्न, नए बीज और नई खाद किस तरह से इस्तेमाल करनी है । इसलिये फील्ड में भी बहुत से काम हो रहे है ।

**चौधरी दल सिंह :** क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा में कीडे मार दवाइयों की कमी के कारण वहुत नुकसान हुआ है? क्या इस कमी को पूरा करने का सरकार का कोई विचार है?

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय ऐसा वै कि पहले तो हमें इ दवाइयों की कभी कमी नहीं आई थी लेकिन इम साल हभाह गन्ने की फसल के ऊपर पाइरीला का प्रकोप हुआ जिस्की वजह से हमें कीड़े मार दवाई की कुछ कमी महसूस हुई इस कमी का कारण यह है कि हमने जिन कम्पनियो के साथ यह दवाई सप्लाई करने का कंट्रैक्ट कर रखा था उन्होंने हमें पूरी दवाई नही

दी । उसके बाद कोशिश करके हमने दूसरी कम्पनियों से दवाई ली । अलबत्ता खाद की कमी की वजह से जरुर प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा ।

**श्री अमर सिंह :** क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि देहातों में जो काँप लोन दिया जाता वै उसका रेट आफ इटैरस्ट साढ़े आठ परसैट से 12 परसैंट तक लिया जाता है क्या इसकी दर को कम करने की कोई योजना है?

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, यह तो रिजर्व बैक की बात है । क्योंकि रिजर्व बैक जो सूद हमरि से लेता है उससे मामूली सा ज्यादा हम किसानों से ले लेते हैं । इसमे प्रोफिट कमाने वाली कोई बात नही है ।

**चौधरी फूल चन्द (मुलाना) :** मंत्री महोदय ने बताया कि 1966–67 के बाद हमारी पैदावार मे बढोतरी हुई है तो क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस बढ़ोतरी में सरकार का क्या हाथ रहा?

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, यह तो साफ ही जाहिर वै । 1966– 67 में हमारी पैदावार 25 लाख 92 हजार टन थी लेकिन पिछला साल क्रूशिअल होते हुए भी हमारी प्रोडक्शन अच्छी रही । फोर्थ फाइव इयर प्लान के अन्त तक हमारा टारगैट 44 लाख टन अनाज पैदा करने का था लेकिन हमने 1971– 72 में

ही 47.50 लाख टन अनाज पैदा कर लिया था जोकि निशाने से आगे है ।

**चौधरी शिव राम वर्मा :** क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि ज्यादा अनाज पैदा करने के लिये किसानों को खाद, बिजली और पानी वगैरह की जो आवश्यक्ता है उस को जुटाने के लिये सरकार क्या प्रबन्ध करू रही है और इस के साथ–साथ किसान को आकर्षिक भाव दिलाने के लिये सरकार क्या पग उठा रही है?

**चौधरी भजन लाल :** हम किसान की हर तकलीफ को दूर करने की पूरी–पूरी कोशिश करते है । हम बिजाई के समय उनको पानी, बिजली टाईम पर मुहैया करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा पैडी सारे जिलों में नही होती जिस समय पैडी को बोने का सीजन आता है तो हम भाखड़ा का पानी जमना में डाल कर पैडी के लिये पैडी के ऐरिया में देते हैं और जब कपास को बोने का समय आता है तो हम जमना का पानी भाखडा में डालकर कपास के ऐरिया में पानी देते हैं ताकि जहा जहां काटन हो वहां–वहां पानी मिल सके । इसी तरह से बिजली का है जंसे कल गुप्ता साहब ने बताया कि बिजली भी हम किसानों को 12 घटे रोज दे रहे है । इसी तरह से खाद और बीज की बात है । हम हर समय कोशिश करते हैं कि किसान को खाद भी ठीक समय पर मिले, बीज भी ठीक समय पर मिले । इस साल खाद की हमारी डिमांड 9 लाख 80 हजार टन थी लेकिन भारत सरकार ने हमारे लिये साढ़े सात लाख टन खाद मुकरर्र की है जिसमें से हमारे

पास अभी तक 5 लाख टन खाद आई है इसलिये खाद की कमी की वजह से तो पैदावार पर असर पड़ सकता है भारत सरकार को हमने फिर से कहा है कि हमें खाद ज्यादा से ज्यादा दे और भारत सरकार ने हमारी पूरी–पूरी सहायता भी की है । लेकिन खाद की कमी पूरे देश में है इसलिए उनके सामने भी मजबूरी है । जब एक चीज की कमी हो तो उस कमी का हमे मजबूती से सामना करना चाहिए क्योकि बहुत सा खाद विदेशों से आता है । इसलिए भारत सरकार को भी मजबूरी है ।

**चौधरी मेहर चन्द :** क्या सरकार के विचार में कोई ऐसी सकीम है कि जिसके तहत सबसीडाइजड बेसिज पर इनसैक्टीसाइड दी जाए और खास कर उन किसानों को जिनके पास पांच एकड़ या पांच एकड़ से कम भूमि पैं?

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

**चौधरी पीर चन्द :** सरकार ने फसलों के लिये हर सुविधा देने की कृपा की है । क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि 1971– 72 मे गवर्नमैंट ने जो एक स्कीम बनाई थी कि जहां वर्षा नही होगी वहां वर्षा करवाई जाए गी तो क्या वह स्कीम अभी चालू है या नहीं?

**Mr. Speaker :** Order please. It is not a supplementary Question.

**मलिक सतराम दास बतरा :** क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जर्मीनेशन कम सप्लाई होने की वजह से पैदावार कम हुई है तो क्या इस साल शंकर बाजरे के बीज का इंतजाम कर लिया है ताकि आइंदा कोई कठिनाई न हो?

**चौधरी भजन लाल :** अध्यक्ष. महोदय आज से दो साल पहले बाजरे की जर्मीनेशन कुछ कम हुई थी मगर इस साल कोई ऐसी शिकायत हमारे सामने नहीं आई लेकिन बाजरे का सीड सरकार नहीं बनाती है बल्कि यह तो सारा नैशनल सीड कार्पोरेशन के द्वारा बिकता है और जो वाहर से आता हैं उसमें नंबर 4 बाजरे के सीड में काफी शिकायत है । हमने किसानों को कहा कि 4 नंबर बीज इस्तेमाल न किया जाए इसकी बजाए 3 नम्बर और 1 नंबर इस्तेमाल करना चाहिए । एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट ने हर गांव में यह एडवर्टाइज किया है कि 1 नम्बर और तीन नंबर का बीज खरीदा जाए । इन बीजों को शिकायत इस साल प्रान्त में नहीं आई

**चौधरी दल सिंह :** मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए जो बीज बाहर से मंगवाया गया था उसमें खराबी निकली तो क्या वह हरियाणा प्रान्त में किसी फार्म में खुद यह बीज पैदा करवाएगी?

**चौधरी भजन लाल :** बाजरे के सीड के लिये हरियाणा प्र में इतना बड़ा कोई फार्म नहीं हे क्योंकि इसमें यह होता है कि

4– 4 किल्ले तक बाजरे का और किसी किस्म का बीज नहीं होना चाहिये अकेले हिसार सीड फार्म में पिछले साल थोड़ा सा बीज पैदा किया गया था और इस साल भी करेंगे । लेकिन जितनी जरुरत है उतना हमारे प्रान्त में नहीं हो सकता ।

**चौधरी अबदुर रजाक खां :** जैसे सरकार ने दवाइयां हासिल करली हैं, क्या जाड़े का भी कोई इलाज किया जाएगा?

**चौधरी भजन लाल :** जाड़े का इलाज तो परमात्मा के पास है ।

**चौधरी फूल सिह कटारिया :** क्या वजीर– साहब बताएंगे कि हरियाणा के अन्दर फसलों का बीमा करवाने की भी कोई स्कीम है ?

**चौधरी भजन साल :** हमने इसके बारे में भारत सरकार से बात चीत की थी लेकिन इसमें किसान पर खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता था हम इस बात पर विचार कर रहे है कि यह खर्चा किस तरह से कम हो और किसान को फायदा पहुंचाया जा सके । इस के बारे में हमारी भारत सरकार से बातचीत चल रही है ।

**Industrial Survey**

***715. Shri Girish Chander Joshi ;** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether the Industries Department has done any industrial survey of all the districts in the State;

(b) if so, the names of such districts of which survey Reports have been completed ;

(c) the names of the districts for which the Reports are yet to be completed ; and

(d) the action, if any, taken by the Government on the survey Reports completed so far ?

**Industries Minister** (Shri Harpal Singh) ;

(a) Yes, Sir.

(b) Ambala, Karnal, Jind, Hissar, Mohindergarb, Rohtak, Sonepat Bhiwani and Kurukshetra.

(c) Gurgaon.

(d) The survey Reports have been given wide publicity. The type of units which have been recommended in these reports are being encouraged by the department.

**Mr. Speaker ;** The Question Hour is over.

## नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

**Home Minister** (Shri K. L. Poswal) ; Sir, I beg to move—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's siting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

**Mr. Speaker ;** Motion moved—

That the proceedings on the items of Business fixed

for to-day be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule `Sittings of the Assembly', indefinitely.

**Mr. Speaker ;** Question is—

That the proceedings on the items of Business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

The motion was carried.

## नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

**Home Minister** (Shri K. L. Poswal) : Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

The motion was carried.

## विशेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना

**Chairman, Committee of Privileges** (Shri Gulab

Singh Jain) ; Sir, I present the Preliminary Report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against Chaudhri Hardwari Lal, M.L.A. for writing derogatory remarks against the Speaker and the House in the book-lets entitled, "A Chief Minister Runs Amuck" and "Emergence of Rough and Corrupt Politics in India".

I also beg to move—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 31st July, 1974.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 31st July, 1974;

**Mr. Speaker :** Question is—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 31st July, 1974.

The motion was carried.

## लोक–लेखा समिति का प्रतिवेदन पेश करना

**Chairman, on Committee Public Accounts**

(Chaudhri Ishwar Singh) Sir, I present the Sixth Report of the Public Accounts Committee for the year 1973-74.

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित–कबीलों के कल्याणार्थ गठित की गई समिति के कार्यकाल की अवधि बढ़ाने हेतु प्रस्ताव

**Social Welfare and Taxation Minister** (Shri Sayam Chand) ; Sir, I beg to move—

That whereas a Committee called the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973 ; and

Whereas it is expedient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1974-75 ;

Now, therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1974, be extended by a year i.e: upto 31st March, 1975, for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on 30th March, 1973.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That whereas a Committee called the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973 ; and

Whereas it is expedient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha

in its sitting held on the 30th March, 1973, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1974-75 ;

Now, therefore, this House resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March. 1974, be extended by a year i.e. upto 31st March, 1975 for performing the functions as enunciated in the resolution passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on 30th March, 1973.

**चौधरी शिव राम वर्मा (निलोखेडी)** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह कमेटी विधान सभा ने पिछले वर्ष चुनी थी और यह कमेटी ए क वर्षीय होने के कारण अव इस का चुनाव होना था लेकिन सदन में इस प्रकार की मौशन आई है कि बिना चुनाव के इसकी मियाद एक साल के लिए और वढा दी जाए । मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है जब हर वर्ष चुनाव होने को स्कीम हैं तो चुनाव हींने चाहिए । स्पीकर साहब यदि यह प्रथा चल पड़ी तो इस का कोई एण्ड नहीं होगा और जो दूसरी हाऊस की कमेटियां हैं इन के बारे भे भी ऐसी मोशन लाकर बगैर चुनाव कराने के उन की टर्म एक्सटैंड करवा ली जाएगी । तो यह प्रथा डैमोक्रेसी में अच्छी नहीं लगती दूसरे प्रान्त भी कहेंगे कि यह हरियाणा विधान सभा ने कैसी प्रथा डाल दी है । इसी को आधार बना कर कल को विधान सभा में भी कहा जा सकता है कि चुनाव क्या करवाने हैं अगले पांच साल के लिए वैसे ही मैबरो की और

टर्म बढ़ा दो और आहिस्ता–आहिस्ता पार्लियामैट में भी यह बीमारी जा सकती है तो इसका कोई अन्त नहीं होगा इसलिए यह अच्छी बात नहीं है । इसलिए मैं इस मोशन का विरोध करता हूं और हाउस से प्रार्थना करता हूं कि इसका चुनाव फिर से होना चाहिए । ।

**Mr. Speaker ;** This Committee was formed through a Resolution for one year. The motion now being passed by the Vidhan Sabha is to extend the term of the same Committee for one year.

**चौधरी दल सिंह (जींद) :** स्पीकर साहब मेरी गुजारिश यह सै कि हरिजन वैलफेयर के लिए और तमाम उनकी भलाई के लिए मुख्तलिफ कमेटियां है चीफ मिनिस्टर साहब की निगरानी में भी एक कमेटी बनी हुई है और एक कमेटी फिर इस हाउस की बनाई गई । तो मैं समझता हूं कि कई कमेटियां वनाने का कोई खास फायदा नही है और देस कमेटी की आज जो टर्म बनाई जा रही है यह मुनासिब नहीं है जब्कि एक कमेटी चीफ मिनिस्टर साहब की सदारत में आलरेडी बनी हुई है । इस कमेटी ने पिछले साल काम भी कुछ नहीं किया, आप रिकार्ड मंगवाकर देख सकते है । इस कमेटी ने शायद ही पिछले साल कोई मीटिग की हो । इसलिए मैं इस मोशन की मुखालिफित करता हूं और इस हाउस से अपील करता हूं कि इस की मियाद न बढ़ाई जाए

**चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) :** स्पीकर साहब यह शिडयूलड कास्ट वैलफैयर कमेटी जो बनाई गई है, सवाल यह है इस तरीके से अगर इसकी टर्म एक्सटैडं होती रही तो हरिजनों की भलाई कव होगी?

श्री अध्यक्ष चौधरी साहब यह कमेटी किसी रूलज के नीचे नहीं फोर्म हुई थी । It was constituted through a resolution of this House for one year.

**चौधरी राम लाल वधवा :** स्पीकर साहब मैं कह रहा हूं कि इसी तरीके से अगर इस कमेटी की टर्म एक्सटैड होती रही तो इनका वैलफैयर क्या होगा, वह तो वहीं का वहीं ही रह जाएगा क्योंकि इस तरह से यह कमेटी बार–बार एक्सटैंड होते होते कई साल निकल जाएंगे । इसलिए मैं सदन को आप के द्वारा कहना चाहूंगा कि कम से कम कोई डैफिनिट पीरियड फिक्स कर दिया जाए । स्पीकर साहब, आज हालत यह है कि जो पहले जमीन पड़ी थी वह भी अभी तक उनको नहीं बांटी गई और जो आगे निकलती है उसका क्या कहा जा सकता है? जब ऐसे हालात होगे तो फिर वैल्फैयर क्या होगा? जिस काम को न करना हो उस के लिए कमेटी बना दो । इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस कमेटी के लिए कोई टाईम मुकरर्र कर दिया जाए कि कब तक यह इस कामको पूरा करे

**Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal) :** Mr. Speaker, Sir, this Committee was constituted, as already told by you, by

a Resolution of the House. This is not a mandatory Committee, This is not a Constitutional Committee. The House can have this Committee. The House can retain this Committee and the House can abolish this Committee. The House can increase the term of this Committee. So this Committee came into existence at a time when it could not function for a year even, and that is the reason why we say that its term should be extended by another .year. Next year, we will have another election. There is no difficulty about that. Now the Committee is there. The treasury benches' people are there and the Members from the Opposition side are also there on this Committee. So there will be no difficulty about that.

**Mr. Speaker :** Question is—

Whereas a Committee called the "Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes" consisting of nine members was constituted for one year in pursuance of a motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March; 1973 and

Whereas it is expedient that for the purposes explained in the motion passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on the 30th March, 1973, the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should also function for the year 1974-75 ;

Now, therefore, this 1-louse resolves that the term of the existing Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes which expires on the 31st March, 1974, be extended by a year i.e. up to 31st March, 1975, for performing the functions as enunciated in the resolution

passed by the Haryana Vidhan Sabha in its sitting held on 30th March, 1973.

The motion was carried.

## दी हरियाणा चिल्ड्रन बिल, 1974

**Social Welfare and Taxation Minister** (Shri Shyam Chand) : Sir, I beg to introduce the Haryana Children Bill, 1974.

I also beg to move—

That the Haryana Children Bill be taken into consideration at once.

**Mr. Speaker:** Motion moved—

That the Haryana Children Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी राम लाल वधबा (करनाल) :** स्पीकर साहब, इस वक्त सदन के सामने हरियाणा बालक विधेयक, 1974 पेश है और इसके एम्ज एण्ड आवजैक्टस की स्टेटमैंट को मैंने पढा है । इसमें यह लिखा है :

"Children are the most vulnerable group in any population and in need of the greatest social care, On account of their vulnerability and dependence they can be exploited, ill-treated and directed into undesirable channels by anti-social elements in the community. The State has the duty of according proper care and protection to children at all times, as it is on their physical and mental well-being that the future

of the nation depends. With increased industrialisation and urbanisation, the State needs to be even more alert and vigilant in this respect. This Bill provides for the care, protection, maintenance, welfare, training, education and rehabilitation of neglected or delinquent children and for the trial of delinquent children in the Haryana State, for which the Haryana Government has direct responsibility."

स्पीकर साहब यह बहुत अच्छा बिल है और इसके लाने के लिए मैं सरकार की सराहना करता हूं । (विध्न ) आपको यह बात एप्रिशियेट करनी चाहिये कि जो बात अच्छी होती है उसे अच्छे कहता हुं और जो बात ठीक नहीं होती उसे बुरी भी कहता हूं । इसलिये आपको जो अच्छी बात कहता हूं मान लेनी चाहिये । जो त्रुटियो की बातें हम बताते हैं उनको मान जाया करें तो मैं अर्ज करता हूं कि यह बिल बहुत अच्छा है मगर क्रुछ देर से आया है पहले आ जाना चाहिये था । मैंने इस विल को अच्छी तरह से पढा है और इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं जिस पर कोई खास डिफैस आफ ओपीनियन हो । एक बात मैं जरूर महसूस करता हूं कि यह विल जितना सिम्पल होना चाहिये था उतना इसे सिम्पल बनाने की कोशिश नहीं को गई है बल्कि इस में कई कम्पलीकेशज बना दी हैं और काफी लम्बा चौड़ा प्रोसैस और प्रोसीजर इस में रख दिया गया है जो कि नहीं होना चाहिये था । इसके अन्दर कहा गया है कि एक बोर्ड होगा उसके बाद कोर्ट्स होंगी । जहां पर कोर्ट नहीं होगी वहां सरकार किसी को कोर्ट डिकलेयर करेगी वगैरा–वगैरा बड़ा लम्बा चौड़ा प्रोसीजर और

प्रौसैस रखा गया है. सरकार को चाहिये था कि इसे सिम्पल कर देती और एक बोर्ड या कोर्ट रख कर ही इस काम को चलाती, दोनों की क्या जरूरत थी । फिर इस में कहा गया है कि अगर बोर्ड में कोई खराब बात होती है तो उसकी अपील डी. सी. या कमिश्नर के पास जायेगी ऑर अगर कोर्ट में कोई बात खराब होती है तो उसकी अपील सैशन जज और हाई कोर्ट के पास जायेगी । अब आप ही देख ले कितना लम्वा चौड़ा प्रोसीजर यह बन जाता हैं । मैं समझता हूं कि यह प्रोसीजर और ज्यादा सिम्पल किया जा सकता था इस बिल की क्लाज दो की सब क्लाज (डी ) में चाइल्ड की जो डैफिनिशन दी गई है वह इस प्रकार है :

"Child! means a boy who has not attained the age of sixteen years or a girl who has not attained the age of eighteen years."

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पहले भी जो मैरिज ऐक्ट बना है उसमें लड़के की उमर ज्यादा रखी गई और लडकी की कम रखी गई है लेकिन इस में उसके उलट बात है कि लड़की की उमर 18 साल और लड़के की उमर 16 साल रखी ह । यह बात ठीक नहीं थै, मेरा सुझाव है कि लडके की उमर 16 की बजाय 20 कर दी जाय । इस से कम नही होनी चाहिए, लड़की की तो ठीक ही है इसकी इसी क्लास की सब क्लास ( के ) में फिट परसन की डैफिनिशन यह लिखी है रू

" 'fit person', in relation to the care of any child, includes any society or body corporate established for the

reception or protection of children or the prevention of cruelty to children and undertakes to bring up or to give facilities for bringing up any child entrusted to its care in conformity with the religion of its birth;"

तो इसके अन्दर जहां पर यह लिखा है :— "include any society or body corporate" इसकी जगह ये वडर्ज होने चाहिएं थे — any person, society or body corporate. यह मैं इस लिए कहता हूं क्योंकि इस बिल में आगे जाकर यह भी कहा गया है कि किसी आदमी के हवाले भी किसी बच्चे को दे सकते है इस लिए इसके अंदर परसन का शब्द एड होना चाहिए इसके बाद क्लाज 2 की सब—कलाज (एम) के पैरा 3 के अन्दर यह लिखा है

"(m) (iii) frequents the company of any reputed thief or prostitute".

मैं यह समझता हूं कि इसमें थीफ का शब्द ही काफी था और इसके साथ रिप्यूटिड शब्द जो जोड़ा गया है यह ठीक नहीं है क्योंकि कौन थीफ रिप्यूटिड है या नही है, इसका झगड़ा पैदा होगा और फिर रिप्यूटिड थीफ की रुस बिल में कोई डैफिनिशन भी नही दी गई है । इस लिए मैं समझता हुं कि यह रिप्यूटिड का शब्द इस मे से निकाल देना चाहिए । इसके बाद इसी का जो पैरा ह है उसके अन्दर यह लिखा है.

"(m) (vi) is being heavily overworked or ill-treated by his employer "

अब वह ओवरवर्क्ड है या नहीं है इसका कैसे पता लगेगा क्योंकि इसके बारे में काई डैफिनिशन नहीं दी गई है । मैं समझता हूं यह प्रोवीजन इन के बारे में है जो घरेलू काम को करते हैं और उनके काम करने के बारे में कोई टाईम लिमिट फिक्स नहीं ऐ कि कितने घण्टे वह काम करेगे और णेसके बाद ओवरवर्क हो जाएगा । इस लिए इस में प्रोवीजन कर दें कि इतने घण्टे से ज्यादा उन से काम नहीं लिया जाएगा वरना कोई कानून की पकड़ में नही आ सकेगा फिर क्लाज उ की सब–क्लाज 2 मैं लिखा है :–

"3 (2) A Board shall consist of a Chairman and such other members, not exceeding six, as the State Government thinks fit to appoint. of whom not less than two shall be women, and every such member shall have the powers of a magistrate of the first class under the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act 5 of 1898).

इस में तो यह लिखा है कि बोर्ड को मैजिम्टेरट फस्ट क्लास की पॉवर्ज होगी लेकिन क्लाज 3 की सब क्लाज 2 के बाद जो क्लाज 4 आती है, इसके साथ ही उसकी सब– क्लाज 2 के अन्दर जो चिल्ड्रन कोर्ट्स कॉ बात आती है, उस के अन्दर कोर्ट को पावर्ज दी गई हैं, वह जुडीशियल मैजिस्ट्रेट फस्ट क्लास की पावर्ज दी गई है । इसके अन्दर यह लिखा गया है :

"4(2) A children's court shall function as a bench of such number of magistrates, not exceeding three, as the State Government thinks fit to appoint, of whom one shall be

designated as the senior magistrate and not less than one shall be a woman ; and every such bench shall have the powers conferred by the Code of Criminal Procedure 1898 (Central Act 5 of 1898), on a judicial magistrate of the first class.''

बिल में आगे जाकर आप देखेंगे कि बोर्ड के जो फंक्शंज हैं वह जुडिशियल मैजिस्ट्रैट से भी ज्यादा है इसलिए क्लाज 3 की सब–क्लाल 2 में जहां फर्स्ट कलास मैजिस्ट्रेट का लफ्ज आता है वहां जूडिशियल मैजिस्ट्रेट का लफ्ज आना चाहिए । मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें वर्ड ''जुडिशयल'' जोड़ना चाहिए इसके इलावा जहां बोर्ड के मैम्बरों की बात आती है वहां इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया । इसके बारे मे डैफीनीशन के अन्दर कहीं पर भी इसको डिफाइन नहीं किया गया मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि एक तो इसमें ''जुडिशियल'' बाली बात को स्वीकार किया जाए और दूसरे मैम्बर्ज की क्वालिफिकेशन को डिफाइन किया जाए । डिफाइन करने के लिए मेरा एक संशोधन हँ कि जहां तक मैम्बरशिप का ताल्लुक है, इसमें यह प्रोवीजन आना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं कि ला–ग्रेजुएट के नीचे कोई भी आदमी मैम्बर न बन सकेगा । अगर यह क्वालिफिकेशन रख दी जाए तो इसकी इम्पलीमैंटेशन ठीक ढंग से हो सकेगी । इस बोर्ड को ऐसा न बना दिया जाये जैसे दूसरी कमेटियों में पुलिंटिकल आदमी रखे जाते है अगर ऐसा होगा तो विल का मक्सद ही फौत हो जाएगा । इसलिए जहां तरु

मैं समझता हूं, मैम्बरों की क्वालिफिकेशन एट–लीस्ट ला–ग्रेजुएट जरूर हो ।

इसके साथ ही क्लाज 5 की सब–कलाज 3 में लिखा है–

"(3) No person shall be appointed as a member of the Board or as a magistrate in the children's court unless he has, in the opinion of the State Government, knowledge of child psychology and child welfare."

इस क्लाज में ''चाइल्ड साइकौलोजी'' और ''चाइल्ड वैल्फेयर'' के लफज बड़े वेग है । इसके अनुसार जिस आदमॉं को चाइल्ड साइकौलोजी और चाइल्ड वैल्फेयर को नालेज नहीं होगी वह मेम्बर या चिल्ड्रन कोर्ट का मजिस्ट्रेट अंप्वायट नहीं हो सकता । नालेज को डिफाइन करना चाहिए कि किस किसम की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए । देस कानून का मकसद यह था कि जो बच्चे जिनकी केयर नही होती उनकी केयर की जाए इस के लिए इतनी लम्बी चौड़ी क्लाजिज रखने की क्या जरूरत है । अगर बोर्ड बनाना है और बोर्ड के मेम्बर रखने हैं तो कम से कम उन मेम्बर्ज की क्वालिफिकेशन तो डिफाइन होनी चाहिए उनकी कोई ना कोई डैफिनिट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि जिस आदमी ने चिल्ड्रन साइकॉलोजी या चिल्ड्रन वैलफेयर का एग्जाम पास किया है वह मेम्बर या मजिस्टेरट बन सकता है लेकिन इससे तो कुछ पता ही नहीं चलता कि पास किया है या नहीं किया । यह तो वेग

क्लाज है, इससे बिल का मकसद ही खत्म हो जाएगा । अगर इस बिल की कंस्ट्रक्शन ठीक ढंग से न की गई जिस ढग से होनी चाहिए तो बोर्ड में जो काम करने वाले हैं वे काम नही करेंगे और इस बिल का कोई फायदा नही होगा । इसलिए जो वेग चीजें दी गई हैं इनकी बजाये डैफिनिट प्रोवीजन बिल मे होना चाहिए । इसके इलावा क्लाज ह की सब–क्लाज (2 ) में लिखा है–

"(2) Where no Board has been constituted for any area, the powers conferred on it by or under this Act shall be exercised in that area, by the Sub-Divisional Magistrate."

आप देखे', एक जगह मजिस्ट्रेट लिखा है, दूसरी जगह जुडशियल मजिस्ट्रेट लिखा है और तीसरी जगह सब–जूडिशियल मजिस्टेरट लिखा है इतने ज्यादा आदमियों को पावर देने से यह विल कम्पलीकेटिड हो गया और बडा लम्बा चौड़ा बिल बन गया । इतनी कम्पलीकेशन्ज खड़ी करने की जरूरत ही क्या है? इसलिए मेरी राय यह है कि इनकी जगह ''जुडिशियल मजिसट्रेट'' होना चाहिए और यह बोर्ड या कोर्ट प्रोविशियल लैवल पर कायम कर दें चाहे डिस्ट्रिक्ट लैवल पर कायम कर दें लेकिन इसका ए क ही अदारा होना चाहिए । इसका नाम चाहे बोर्ड रखें चाहे कोर्ट रखें द्वन सब की बजाए जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो तभी इसकी इम्पलीमैंटेशन ठीक ढंग से हो सकती है । इसके अतिरिक्त इसमें एक और अजीब चीज हैं क्लाज 8 के तहत चिल्ड्रन–होम बना दिया, क्लाज 9 के तहत स्पैशल स्कूल्ज बना दिए, क्लाज 10 के तहत आब्जर्वेशन होम्ज बना दिए और क्लाज 11 के तहत

''आफ्टर–केयर आगेंना ईजेशन'' बना दी एक ये चार किस्म के अदारे खड़े कर दिए । इतने ज्यादा अदारे बनाकर बिल को लम्बा चौड़ा बना दिया । इनसे सरकार को क्या लाभ होगा? मेरे ख्याल मे तो बिल बनाने बालों ने पुरानी जहनीयत से लम्बा चौड़ा बना दिया । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो कहूंगा कि ये चार अदारे थोड़े बहुत हेर–फेर के साथ बना दिए और कह दिया कि पहले चिल्ड्रन–होम में भेजा जाएगा, इसके बाद स्पैशल स्कूल्ज में जाएंगे, फिर आब्जर्वेशन होम में इन्टरनल पीरिय के लिए जाएंगे और बाद में 'आफटर–केयर आर्गेनाईजेशन' एक नई चीज खड़ी कर दी है इसके बाद यह प्रोवीजन भी आया कि जिन निगलैक्टिड चिल्ड्रन्ज के गार्डियन है उन के लिए स्पैशल प्रोवीजन फालो किया जाएगा जो बच्चे इस डैफिनीशन के अन्दर आते हैं जिनकी केयर नही होती, भिखमंगे है निगलैक्टिड रह जाते है वे इस बोर्ड या कोर्ट के अन्दर पेश करेंगे और यह सब होने के बाद उनको एक जगह रख दिया जाएगा और एजुकेशन का अरेंजमैंट किया जाएगा, यह सब ठीक है । लेकिन एक तरफ तो सरकार कहती है कि फाइनेसिज नही है और दूसरी तरफ जब इस किस्म क। बिल आता हैं जिसमें बहुत लम्बा चौड़ा खर्चा होता है तो बिल्कुल नहीं सोचती । ऊ क जगह चिल्ड्रन होम बना दिये, एक जगह स्पैशल स्कूल बना दिए, एक जगह आब्जर्वेशन होम्ज बना दिए और एक जगह ' 'आफटर–केयर आगेनाईजेशन' ' बना दी, इनसे तो बहुत खर्चा बढ़ेगा । मैं समझता हूं कि जहां तक बिल के मुद्दे का ताल्लुक है, जैसा कि मैने पहले कहा वह तो ठीक है लेकिन इसमे

जेसा बहुत बड़ी फजूल की क्लाजिज वना दी है, उन्होने इस बिल को बहुत लम्बा वना दिया है और ये सारी बाते' वे ग है, कम्पलीकेटिड है । मै आपके द्वारा सरकार से कहूंगा और जैसा कि पहले कहा है कि जो अच्छी बात की जाती है और सरकार ठीक समझती है उसको सरकार मान और इस जो सरकार के फायदे की बात है, बच्चो के फायदे की बात है उसको जरूर माने इस बिल को वेग और कम्पलीकेटिड न रखे सिम्पल बना दिया जाए काम ठीक ढग से चले और जिस मक्सद के लिए बनाया गया है वह पूरा हो सके

**श्री अमर सिंह (बवानीखेडा–अनूसूचित जाति)** : डिप्टी स्पीकर साहिबा, सदन में हरियाणा चिल्ड्रन बिल 1974 अंडर डिस्कशन है । यह बिल बहुत बेहतरीन है । इस में उन बच्चों की देख रेख के लिए प्रोवीजन किया गया थैं जो निगलैक्टिड और भिखमंगे हैं ऐसे बच्चों के लिए साधन बनाए जाएं, उनकी देख रेख करके उनको इस काबिल बनाया जाए जिससे वे अपनी जिन्दगी आराम से बसर कर सके । डिप्टी स्पीकर साहिबा, मुझे एक बार इलाहाबाद जाने का इत्तफाक हुआ वहां पर जवाहर लाल नेहरू के पिता श्री मोती लाल नेहरू का पुराना मकान '' आनन्द भवन' ' है । वहां बच्चों की देख रेख का बेहतरीन इंतजाम है । मैने वहां की इंतजामिया कमेटी से पूछा कि भाई यहां से कितने बच्चे पढ लिग्ब कर काबिल बने हैं जो बच्चे गलीकूचों में फिरते हैं, नगलैक्टिड चौप्स है जिनकी किसी को परवाह नही, उनके बारे

में उन्होंने बताया कि यहां से बहुत से लडके आई ० ए ० एस ० बनकर चले गये, और बहुत से इंगलैड आंर अमरीका जैसे फोरेन कंट्रीज में फरदर स्टडी के लिए भेजे हुए हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि जो बिल सदन के जेरेगौर है यह बहुत बेहतरीन है । लेकिन इस बिल में इतने ज्यादा अदारे बना दिए जिनमें फजूल पैसा खर्च होगा । बजाये इसके अगर सरकार बच्चों की नसलोनूमा, उनकी पढाई लिखाई पर खर्च करते, उनके लिए एक बोर्ड या कोर्ट बना देते जिसमें सब–डिविजनल लैवल पर किसी एस ० डी ० ओ ० को या डिस्ट्रिक्ट लैवल पर डिप्टी कमिश्नर को अषुतियार दँते तो ज्यादा भलाई हो सकती थी । ले किन इस तरह के चिल्ड्रन होम, स्पैशल स्कूल, आब्जर्वेशन होम्ज बनाकर मैनेजमैंट पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा, बनिस्बत कि बच्चों पर खर्च होने वाले खर्चे के मुकाबले में । इस किस्म के अदारों को निस्वत अगर बच्चों की देख–रेख पर ज्यादा खर्च होगा तो मैं इस बिल का समर्थन करता हूं. इसके बारे में मैं एक तजवीज देना चाहता हूं कि बीच में जो आपने कई प्र कार की सीड़ियां बना दी हैं, जो प्रौसैम अडांप्ट किया है इसको करटेल किया जाए एस ० डी ० ओ ० और डी ० सी ० को, औफैंडर एक्ट के तहत जिन बच्चों का गुड बिहेवियर होता है उनका इन्तजाम करने का अधिकार दिया गया है । तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के तहत जब यह रिपोर्ट जाती है औफैन्डर्ज औफिसर के पास, उस रिपोर्ट पर ही उन बच्चों को वहां भेज दिया जाए बजाए इसके कि बोड' की रिकोमैडेशन हो और चिल्ड्रन कोर्ट उसे अप्रूव करे । इस तरह से

यह जो प्रोसैस को मल्टीप्लाई किया गया है इसको कम किया जाए । तो इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब इस बात पर गौर फरमाएंगे ।

**Social Welfare and Taxation Minister** (Shri Shyam Chand) : Madam, Deputy Speaker, the hon. Members from the opposition have also appreciated this bill. The Government has come forward with this bill with good intentions and our good intentions should not be doubtfully defeated. You know, Madam, Deputy Speaker, in Haryana beggary is banned and it is the duty c f the Government to take care of those children who are either neglected or, in many cases, whom I should call, the flowers of frailty. It is the duty of the Government to take care of those boys. However, this new bill is on the pattern of the Central Act and all the provisions have almost been copied from that Act. Keeping in view that Haryana State is fast growing into an industrial State and after 10,15 or 20 years there will be some complicated problems in dealing with delinquent children or the neglected children, we have taken every care to see what will be the implications of this Act in future and what should be the form of the bill ? My friends have raised objection about certain provisions. As regards the special school, we have got a certified school. We have changed only the name from certified school to special school, because certified school shows the criminal intention of the boys who are in that school. So, we have only changed the name of that school to special school. As for after-care organisation, we have already after-care home. We have simply changed the name of that organisation. There is nothing to worry about it or to criticise this bill and, I hope, this bill will

meet the demand of the school children. And, I request the House to pass this Bill.

**Deputy Speaker :** Question is **—**

That the Haryana Children Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

**Deputy Speaker 11** Now the House will take up the Bill clause by clause.

**Voices :** All the clauses may be put together.

**Deputy Speaker :** All right.

**Sub-clauses (2) & (3) of clause 1.**

**Deputy Speaker :** Question is-

That sub-clauses (2) & (3) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Clauses 2 to 68**

**Deputy Speaker ;** Question is—

That clauses 2 to 68 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Sub-clause (1) of clause 1.**

**Deputy Speaker :** Question is—

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill

The motion was carried.

**Enacting Formula**

**Deputy Speaker ;** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

**Title**

**Deputy Speaker ;** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried

**Social Welfare and Taxation Minister** (Shri Shyam Chand) ; Madam, I beg to move—

That the Haryana Children Bill be passed.

**Deputy Speaker ;** Motion moved-

That the Haryana Children Bill be passed.

**Deputy Speaker ;** Question is—

That the Haryana Children Bill be passed

The motion was carried

## दी कोर्ट फीस ( हरियाणा अमैंडमैंट ) बिल, 1974

**Revenue Minister** (Pandit Chiranji Lal Sharma) : Madam, I beg to introduce the Court Fees (Haryana Amendment) Bill, 1974.

Madam, I also beg to move —

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**Deputy Speaker ;** Motion moved—

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

**चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) :** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, यह जो न्यायालय फीस ( हरियाणा संशोधन ) विधेयक, 1974 सदन में प्रस्तुत किया गया है मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । कल ही बजट पास हुआ है, बजट डिमांड्ज पास हुई है और उनमें कोई' टैक्स लगाने का सुझाव नहीं था । फिर हमारें वित्त मंत्री महोदय ने भी कहा था कि हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे है लेकिन आप देख रही है कि कल से ही इन्डायरैक्ट टैक्स लगने शुरू हो गए हैं दो बिल कल आए थे जिनमें किसी में तिगुना, किसी में ड्योढा, चौगुना और पांच गुना तक टैक्स बढ़ाया गया है और आज यह काटे फीस बढ़ाने के लिए विधेयक हमारे सामने आया है । मैं तो समझता हूं कि यह गरीब लोगों के ऊपर, जिनको न्याय की अधिक आवश्यकता है, एक फालतू बोझ डाला जा रहा है । यहां, डिप्टी स्पीकर साहिबा, जनतत्र है, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि गिनती का राज

है, जिधर ज्यादा गिनती होगी वे अपनी बात कर लेंगे परन्तु सही बात यह है कि इन्हें यह बात विचारनी चाहिए । मैं इनके विचारने के लिए एक दो बातें कहना चाहता हूं । एक तो यह कि जनता को चिकित्सा, शिक्षा ओर न्याय, ये तीनों चीजें बहुत आवश्यक हैं और ये उन्हें बहुत सस्ती मिलनी चाहिएं लेकिन आज हमारे देश में तीनों चीजें इतनी महंगी हैं कि गरीब आदमी न तो इलाज करा सकता है, न बच्चों को पूरी शिक्षा दिला सकता है और न ही न्याय प्राप्त कर सकता है । उसके लिए बड़ी मुश्किल है वह बेचारा क्या करे? उसके पास ज्यादा पैसा तो है नहीं मगर न्याय दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है और अब तो सरकार ने उसके ऊपर और भी बोझ लाद दिया हैं । डिप्टी स्पीकर साहिबा, अन्दाजन तो यह कहा जा सकता है कि पौने दुगुने के करीब बोझ यह हो जाएगा लेकिन मैं समझता हूं कि आगे चलकर यह दुगुने से भी ज्यादा बोझ पड़ेगा । इसलिए मैं इस सरकार से, जो अपने आपको गरीबों की हिमायती कहती है, जो रोज–रोज कहती है हम गरीबी हटाएंगे, यह पूछना चाहता हूं कि गरीवी कैसे हटेगी? जबकि गरीब आदमी को न्याय प्राप्त करने में कठिनाई आयेगी, इस तरह कैसे गरीबी से छुटकारा होगा? फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में यह कहा गया है कि न्यायालय का खर्चा बढ गया है लेकिन इसके साथ ही ये दूसरी बात क्यों भूल जाते हैं कि मुकदमे भी कई गुणा बढ गए हैं, यदि हिसाब लगाया जाय तो न्यायालय के खर्च के मुकाबले में मुकदमो से आमदनी ज्यादा बढ गई है । तो इसलिए भी यह उचित नहीं है

कि फीस बढ़ाई जाए क्योंकि इसका सबसे अधिक कुप्रभाव गरीब आदमी पर पड़ेगा । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह इस विधेयक को वापस ले ले क्योंकि इस समय जो फीस चल रही है वही काफी बोझ है । इससे अधिक बोझ गरीबों के ऊपर लादना उनके साथ ज्यादती होगी क्योंकि उन्हें शिक्षा चिकित्सा और न्याय प्राप्त करने में और भी मुश्किल पड़ जाएगी । (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहूंगा कि वह इस विधेयक को वापिस ले और कोर्ट फीस को बढ़ाने का प्रयत्न न करे क्योंकि पहले ही काफी पर्याप्त फीस लगी हुई है । धन्यवाद!

**चौधरी राम लाल बधवा (करनाल):** स्पीकर साहब यह जो कोर्ट फीस हरियाणा अमैंडमैंट बिल 1974 हमारे सम्मुख है । इसके बारे में मोटे शब्दों में मैं यह कह सकता हूं कि गिनती का आज राज है, वह इसको पास तो जरूर करेगी लेकिन जनता के लिए तो बहुत भारी कठिनाई पैदा होगी ।

यह जो 18 करोड़ रुपये का डेफिसिट बजट यहां आया है उसके बारे में मैंने पहले बोलते हुए कहा था कि जनता को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि टैक्म लगेगे सरकार भले ही यह कह रही थी कि कोई टैक्स नहीं लगा रही है लेकिन मैंने तो यह कहा था कि बहुत बड़े टैक्स हमारे सामने आने वाले हैं उसकी शुरुआत हो गई है, इनकी इस बात के कहने के बावजूद भी कि

हम कोई टैक्स नही लगा रहे हैं दूसरे दिन ही टैक्स लगने शुरू हो गप है फ्रेस बिल की क्लाज दो के अन्दर लिखा है –

"2, In section 7 of the Court Fees Act., 1870 (hereinafter referred to as the principal Act)—

(a) in the first proviso to clause (iv), for the words "thirteen rupees", the words "twenty five rupees' shall be substituted..",

यहा पर ये कह रहे थे कि पीने करोड रुपये की बात है । लेकिन 13 रुपये की बजाए 25 रुपए सबस्टीच्यूट किया गया है यह डबल टैक्सेशन बनती है यह एक मोटी सी बात है ये जो फिगर्ज, इन्होंने टेबल्ज मे दी है– `Table of rates of ad-valorem fees leviable on the institution of suits.' ये पेज 9 पर शुरु होती हैं, इसके साथ ही इन्होंने जो पीछे दी है दे मुझ होती है उसका पेज नही है, अनैक्सचर साथ लगाया हुआ है इसके अन्दर मोटी बात यह हूं कि कितना फर्क है? मैं एक मिसाल दे देता हू । जो टेबल इन्होंने दी है उमके आखिरी हिन्दसा 2 लाख 95 हजार से उ लाख 16 हजार 370 तक जाता है तो स्पीकर साहब यह कैसे कह रहे है कि पौने दो का फर्क पड़ता है यह तो तिगुने के करीब फर्क पड़ता है औंर पहले 13 की बजाए 25 रुपए हो गया है । यह मैंने आखिरी फिगर्ज बता दी अगर इतनी बड़ी टेबल का एक दूसरे के साथ कम्पैरीजन करें तो यह टैक्स इतना भारी लग रहा है जिसक्एरू बारे में कुछ नहीं कहा जा मकता मवम ज्यादा जरूरी चीज जो मनुष्य को चाहिए वह इन्डिपैन्डैस है यहां पर यह बात

कही जाती है इस देश के अन्दर न्याय सस्ता मिलेगा और शीध्र ही मिलेगा णीध तो कितना मिलता हुं यह आजकल की अदालतो से पता लग सकता है या हाई कोर्ट या कोटों के रिकार्ड से पता चल सकता है । किसी भी केस की वहा पर चार पांच साल से पहले बारी नही आती नैव यह तो हालत है जिसकी यह कहते है कि शीघ्र हो रहा है और लोगों की सस्ता न्याय मिलेगा । जो सरकार का अपना काम है वह तो सस्ता मिलना चाहिए उसके लिए सरकार फीस बढ़ा रही हैं मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय जनता के साथ कोई और हो नहीं सकता । मैं इस बिल का सख्त और पुरजोर विरोध करता हूं और आपके जरिए प्रार्थना करता हूं कि यह फीस नहीं बढ़ायी जानी चाहिए जनता को सस्ता न्याय कैसे मिल सकता है जब सरकार अदालत में जाने से पहले ही उन पर खर्च का भारी बोझ लाद रही है यह तो पता नही उसके अन्दर आगे उसका क्या खर्चा होगा सरकार तो उसको पहले ही जुर्माना लगा देगी मै दुबारा फिर यही कहूंगा इस की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए । मेरा तो यह। कहना है कि इसको वापिस लेना चाहिए और मैं इसका डट कर विरोध करता हूं

**Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma)** : Mr. Speaker, Sir, I have listened with rapt attention the arguments advanced by Hon. Members of the Opposition in opposition to this Amendment Bill. I was simply surprised to hear Shri Shiv Ram Verma when he stated that although a categorical assurance was given that no new taxes will be imposed, yet this is an indirect taxation. Through you, Sir, I

wish to tell the Hon. Member that our Chief Minister made a categorical statement that taxes will have to be imposed. It is also averred in the Governor's Address. But because they have just to cast reflection on the bonafides of the Government one way or the other, they made this observation. In view of what has been stated by the Leader of the House earlier, it cannot be said that this is something coming up abruptly.

Now coming to the facts of this amendment that is being introduced in the Act, I have to inform the House, through you, Sir, that according to the estimates for the year 1971-72, we used to collect about Rs. 54.42 lacs through court fees and Rs. 3.60 lacs as copying charges through copying agencies. Now by this amending Bill there is an addition of Rs. 35 lacs tentatively : Rs. 32.35 lacs from court fees and Rs. 3 lacs through copying agencies.

Now it has been said that this is a taxation on the poor and the down-trodden. I refute this insinuation, because the poor and the down-trodden have nothing to do with this, as a matter of fact. When such a person has to knock the doors of the court, he has just to affix a stamp on the power of attorney or the application, if it is a complaint. Hon'ble Members should kindly note that this court fee usually affects those who file suits for possession, who tile suits for recovery of huge amounts and to say that this is a taxation on the poor and the downtrodden is going against facts. It cannot be denied that the expenses in the courts have naturally gone up. I mean, prices all over have shot up. Truly speaking, stationery cannot be fully provided in the courts. The staff has been increased. We are constructing judicial complexes: new

buildings are coming up. There is addition of members to the Judiciary and all this. How to meet this expenditure, Sir? It is stated that there is increase in the number of litigations, I mean, in the number of cases. That is correrct. Even then the Government cannot meet the expenses. We were thinking of bringing this legislation much earlier. Somehow the High Court did not agree. Then a Committee was constituted under the Chairmanship of Shri R. S. Narula, Hon'ble Judge of the High Court and after thoughtful deliberation—they had five *sittings—they came to the conclusion that in view of this increase in expenditure on the courts, in view of increase in the staff in the

courts and in view of new buildings that are coming up, we must increase the court fees. And, it was after thoughtful deliberation that the Committee decided, I mean, the Government thought of bringing in this legislation. It is nothing new. Price of everything is going up. If you just take the case of agricultural land, the lands that used to be sold (a Rs. 100 per bigha in the days gone-by, now it fetches more than Rs. 2000. You take any commodity or necessity of life, you have to pay much higher price for that. So in view of all this, the Government, was obliged to bring in this legislation, and I do dot think the Hon'ble Members of the opposition should have any objection to the passing of this Bill. With these remarks, I would submit, Sir, that the Bill be passed.

**Mr Speaker :** Question is—

11.00 बजे

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be

taken into consideration at once.

The motion was carried

**Mr.Speaker :** The House will now take up the Bill clause by clause.

**Clause 2 and 3**

**Mr.Speaker: Question is-**

That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Schedules 1 & 2.**

**Mr.Speaker** Question is-

That schedules 1 and 2 stand part of the Bill.

The motion .was carried.

**Clause 1**

**Mr.Speaker:** Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

**Enacting Formula**

Mr. Speaker : Question is-

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

**Title**

**Mr.Speaker :** Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

**Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) :** Sir, I beg to move—That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Motion moved—

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be passed.

**Mr. Speaker :** Question is—

That the Court Fees (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

## शोक प्रस्ताव

**सिचाई एवं विद्योत मंत्री ( श्री बनारसी दास गुप्त ) :** अध्यक्ष महोरथ, एक बड़ा, दुखद समाचार है और मैं एक शोक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने जा रहा हूं'

अध्यक्ष महोदय, यह सदन संसद सदस्य एवं स्वतत्रता सैनानी श्री कमल नाथ तिवारी के 17 जनवरी, 1974 को हुए दु:खद निधन पर गहन शोक प्रकट करता है । श्री कमल नाथ

तिवारी का जन्म बिहार राज्य के चम्पारन जिला में 20 मार्च, 1907 को हुआ । उन्होंने अपनी शिक्षा विद्या सागर कालेज, कलकत्ता से प्राप्त की । स्वतंत्रता संगम में भाग लेने के परिणाम स्वरुप उन्हें कई बार जेल याल मोरनी पड़ी । लोहोर षडयनत्र केस में उन से आजीवन कारावास की सजा हुई थी वे 1947 से 1953 तक बाधा थाना कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा चम्पारन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे । वे विहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1960 से 1962 तक सचिव रहे तथा 1906 से वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे ।

श्री तिवारी के निधन से देश ने एक महान क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सैनानी, संसदविज्ञ खो दिया हूँ । यह सदन दिवंगत नेता के शोक संतप्त परिवार से हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता है ।

**Mr. Speaker :** Hon'ble Members ! I fully associate myself with the sentiments experessed by-the' Hon'ble Minister on the sad and sudden demise of Shri K.N.Tewari. In his passing away, the Country has lost a great freedom fighter and a renowned parliamentarian. He was the Chairman of the Estimate Committee of the Lok Sabha. 1 shall convey the sympathies of this House to the bereaved family and I request you all to stand silence for two minutes as a mark of respect to the memory of the deceased.

(The House then observed two minutes' silence)

**Mr. Speaker** The House stands adjourned sine-die.

11.09 बजे

(The Sabha then *adjourned sine-die.)